

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक-5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं: 0141-2705484

email- rajssa_ied@yahoo.co.in, iedss.rmsaraj@gmail.com

क्रमांक : राज0स्कूल0शि0प0 / जय / आईईडी / 2018-19 / 5431

दिनांक : 24/8/18

दिशा-निर्देश (सत्र 2018-19)

विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु रीडर भत्ता (Reader Allowance) एवं स्टाईपेन्ड भत्ता बालिकाओं हेतु (Stipend for Girls)

वार्षिक कार्य योजना सत्र 2018-19 के अन्तर्गत राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु निम्नानुसार भत्ते उपलब्ध कराये जाने हैं।

रीडर भत्ता (Reader Allowance) :-

- **पात्रता :-** राज्य के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक में 1343 एवं कक्षा- 9 से 12 में 260 दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं को रीडर भत्ता जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्हें रीडर भत्ता (Reader Allowance) देय होगा।
- **अवधि :-** 10 माह के लिए
- **राशि :-** अधिकतम ₹ 250/-प्रति माह (एक मुश्त ₹ 2500/-)
- **रीडर भत्ता (Reader Allowance)** का व्यय समावेशित शिक्षा के मद की "Reader Allowance" उपमद से किया जायेगा।

स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) :-

- **पात्रता :-** राज्य के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक में 1505 एवं कक्षा- 9 से 12 में 3747 विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्हें स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) देय होगा।
- **अवधि :-** 10 माह
- **राशि :-** ₹ 200/-प्रति माह (एक मुश्त ₹ 2000/-)
- **स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls)** का व्यय समावेशित शिक्षा के मद की "Stipend for Girls" उपमद से किया जायेगा।

विशेष बिन्दु :-

- प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं की PMS पर एन्ट्री कर हार्ड कॉपी जिला कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के बैंक खातों को आधार से जुड़वाना सुनिश्चित करें।
- संबंधित पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के बैंक खाते में रीडर अलाउंस एवं स्टाईपेन्ड अलाउंस की राशि जमा कराने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाये।

- अगस्त 2018 से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पंचायत समिति, जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग इत्यादि के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जावे व व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे। जिससे अधिकाधिक पात्र बच्चों को लाभ मिल सकें।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक अगस्त के अन्तिम सप्ताह तक विद्यालयों के संस्था प्रधानों से आवेदन पत्र भरवाकर प्रमाणित संख्या एकत्र करेंगे तथा राज्य मुख्यालय पर प्रमाणित संख्या प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात राशि जारी की जायेगी।
- जिले के समस्त पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को रीडर भत्ता एवं स्टाइपेन्ड फॉर गर्ल्स भत्ता दिया जाना हैं परन्तु यदि बजट की अनुपलब्धता की स्थिति से सभी पात्र बालक-बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है तो समावेशित शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् को भिजवाएंगे।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालकों को उक्त राशि प्राप्त हो रही है, उन बच्चों को यह राशि देय नहीं होगी। इसका प्रमाण पत्र लिया जावे।

(शिवांगी स्वर्णकार)

राज्य परियोजना निदेशक

दिनांक : 24/8/18

क्रमांक : राज0स्कूल0शि0प0 / जय / आईईडी / 18-19 / 5432

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान।
5. निजी सहायक, अति0 राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. निजी सचिव, वित्त नियंत्रक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि/माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक।
9. रक्षित पत्रावली।


(रामनिवास जाट)

अति0 राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

रीडर भत्ता (Reader Allowance) हेतु आवेदन पत्र

1. नाम बालक/बालिका.....
2. पिता का नाम.....
3. जन्म तिथि.....कक्षा.....
4. स्थानीय पता.....
5. एस.आर. न0.....दोष का प्रकार एवं प्रतिशत.....
6. नोडल.....ब्लॉक.....
7. विद्यालय.....डाईस कोड.....
8. घर से विद्यालय की दूरी.....
9. आधार कार्ड नम्बर.....
10. दिव्यांगता प्रमाण पत्र.....
11. खाता संख्या.....IFSC Code.....
12. बैंक का नाम.....
13. क्या बालक-बालिका का आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ है.....




हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्र/छात्रा

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) हेतु आवेदन पत्र

1. नाम बालिका.....
2. पिता का नाम.....
3. माता का नाम.....
4. जन्म तिथि.....कक्षा.....
5. स्थानीय पता.....
6. मोबाइल न0.....
7. ब्लॉक.....
8. विद्यालय.....डाईस कोड.....
9. श्रेणी
10. दिव्यांगता प्रमाण पत्र.....
11. आधार कार्ड नम्बर.....
12. बैंक का नाम.....
13. खाता संख्या.....IFSC Code.....
14. क्या बालिका का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा है। हाँ / नहीं



फोटो

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्रा

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं बालक/बालिका..... उक्त विद्यालय की कक्षा.....में अध्ययनरत है तथा उक्त बालक/बालिका को रीडर भत्ते हेतु ₹.....प्रतिमाह भत्ते प्रदान किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र/छात्रा..... पुत्र/पुत्री श्री.....विद्यालय.....को रीडर भत्ता ₹ प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम पद सहित.....